# राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : mdrmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2026-27/813 दिनांक : 29/06/26

## आदेश

M/s Navkar Life sciencesPlot no 76, Lodhi Majra Industrial Area Baddi, Distt. Solan (H.P.) से निविदा क्रमांक F.02(345)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/02/2022/62 दिनांक 07.01.2022 के तहत् औषधि Calcium and Vitamin D3 Suspension (Each 5 ml contains Calcium Carbonate equivalent to elemental Calcium 250 mg, Vitamin D3 125 IU) [441] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 8912 दिनांक 28.03.2024 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में आपूर्ति की गयी औषधि को जांच हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की जाँच में औषधि के बैच संख्या LD4011A में Vitamin D3 की मात्रा (Nil) पाई गई, जो कि निगम के विर्वजन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार Not of Standard Quality (Spurious or Adulterated) की श्रेणी में हैं।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से औषधि के उक्त बैच की अमानक कोटि की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। फर्म को दिनांक 08.05.2026 को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। प्रकरण अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 13.05.2026 में रखा गया, जिसमें समिति के समक्ष फर्म का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत अमानक एवं निगम के विवर्जन संबन्धी दिशा–निर्देशों के क्लॉज 4.8 एवं 11 (ii) के तहत Not of Standard Quality (Spurious or Adulterated) की श्रेणी में हैं। निविदा की शर्त संख्या 16(2) Quality Testing /19(3) Quality Control Deduction and Other Penalties के अनुसार निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई औषधि के सैम्पल गुणवत्ता मानकों अनुसार नहीं पाये जाने पर विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशों (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.8 एवं 11 (ii) के अनुसार कार्यवाई किये जाने का प्रावधान है। विवर्जन संबंधी दिशा–निर्देशों के क्लॉज संख्या 4.8 एवं 11 (ii) कमशः निम्नानुसार है:–

**4.8** - In case, any sample (even one batch) is declared as **Not of Standard Quality** by an empanelled lab or Govt. Lab which falls in **Spurious or Adulterated** category and if such failure is further confirmed by Govt. Lab during its entire shelf life, the **Company** shall be liable for debarring for a period of **not less than 5 years.**|

RajKaj Ref No.:
23061162

Digitally signed by
PUKHRAJ SEN
Designation: Managing Director
Date: 2026-06-29 11:01:51 IST

v-1.0

**11(ii):-**On the basis of quantitative analysis (Assay), the NOSQ drug shall be distinguished in the following manner:-

| Category of NOSQ drugs | Active ingredient content (Assay) | |
|---|---|---|
| | Thermo stable | Thermolabile |
| Minor | Upto 5% less than the prescribed lower limit | Above 70% to the prescribed lower limit |
| Grossly Substandard | Below 5% of the prescribed lower limit to 50% | 70% to 40% |
| Spurious | Below 50% | Below 40% |

अतः निविदा की शर्त संख्या 16(2) Quality Testing /19(3) Quality Control Deduction and Other Penalties के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशों (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.8 एवं 11 (ii) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 13.05.2026 की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Navkar Life sciencesPlot no 76, Lodhi Majra Industrial Area Baddi, Distt. Solan (H.P.) को 05 वर्ष (60 Month) के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है एवं फर्म को उक्त बैच वापस (Return) लिये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

इस आदेश का पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा प्रतिस्थापित (Replacement) प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई गई हो, पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

(पुखराज सैन)
आई.ए.एस
**प्रबन्ध निदेशक**

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2026-27/813 दिनांक : 29/06/26
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।

RajKaj Ref No.: 23061162

Digitally signed by PUKHRAJ SEN
Designation: Managing Director
Date: 2026-06-29 11:01:51 IST

v-1.0

6. निजी सहायक, निदेशक.पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
8. निजी सहायक, औषधि नियंत्रक, राजस्थान/ हिमाचल प्रदेश।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. निदेशक प्रोक्योरमेन्ट, आर.एम.एस.सी.।
11. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं उप.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
12. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त बैच के समस्त स्टॉक को फर्म को लौटाया जाना (Return) सुनिश्चित करें।
13. M/s Navkar Life sciencesPlot no 76, Lodhi Majra Industrial Area Baddi, Distt. Solan (H.P.)
14. आदेश पत्रावली

**प्रबन्ध निदेशक**

RajKaj Ref No.: 23061162

Digitally signed by PUKHRAJ SEN
Designation: Managing Director
Date: 2026-06-29 11:01:51 IST

v-1.0